

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12/21/2018

प्रवेश तिथि  
20-03-2018

निर्णय दिनांक  
17-01-2019

01-दौलतराम पुत्र ग्यासी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम न्याणा, तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर राज।  
अपीलान्ट

बनाम

01-नायब तहसीलदार गोविन्दगढ, जिला अलवर राज।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार गोविन्दगढ  
दिनांक 21.02.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व  
अधिनियम प्रकरण संख्या 53/2017

उपस्थित:-

01-श्री कैलाश चन्द शर्मा

-वकील अपीलान्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार गोविन्दगढ के आदेश दिनांक 21.02.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम न्याणा की सरकारी गै0मु0 रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 690/1.08 बीघा में से 35X10 वर्गफुट पर अवैध कब्जा करने पर की गई पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉ0 को जर्ज सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम न्याणा की सरकारी गै0मु0 रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 690/1.08 बीघा में से 35X10 वर्गफुट पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 18.12.2017 को पटवारी द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

पत्रावली का परीक्षण किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि नायब तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा निर्णय करते समय निर्णय मे अतिक्रमित रकबा 35.10 वर्गफुट दर्शाया है जबकि उनकी मौका रिपोर्ट पत्रांक 137 दिनांक 13.04.2018 एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2017 के अनुसार अतिक्रमित रकबा 35X10 वर्गफुट (350 वर्गफुट) है। अपील अपीलान्ट इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि नायब तहसीलदार गोविन्दगढ मौके अनुसार पैमाईश कर नक्शा ट्रेस बनाकर अतिक्रमी के अतिक्रमण को स्केच पेन से अंकित कर न्यायोचित आदेश पारित करें। वकील अपीलान्ट को हिदायत दी जाती है कि वो दिनांक 04.02.2019 को नायब तहसीलदार गोविन्दगढ के न्यायालय में उपस्थित हों। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर अपीलान्ट की तामील मानी जावेगी।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17-01-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओपी0डेन्ट)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)